न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 66/2018

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादी :-

1. रामनारायण पुत्र घीसु जाति-माली, निवासी-जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली	1. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

तारीख रजू:.13/03/2018

उपस्थितः- 1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 15/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. 1956, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-जैतारण, पटवार हल्का-जैतारण, भू.अ.नि. क्षैत्र-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 09 बिस्वा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 587 रकबा 80-11 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 651 रकबा 18 बिस्वा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 653 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 583 रकबा 04-11 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिसकी नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की प्रमाणित फोटो प्रति दावे के साथ पेश किये जा रहे हैं। जिसे दावे का एक भाग माना जावें। उक्त खसरा नम्बरान् में वादी का नाम नारायण पुत्र घीसू कौम-माली दर्ज हैं, जो कि एक रोंग एन्ट्री हैं। वादी का नाम रामनारायण पुत्र घीसू हैं। जिस बाबत् आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान-पत्र, राजस्थान सरकार का परिवार राशन कार्ड, आयकर विभाग भारत सरकार का पेन कार्ड जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बिल की फोटो प्रति दावे के साथ पेश की जा रही हैं। जिसे दावे का एक भाग माना जावें। वादी का सही नाम रामनारायण ही हैं, जो सभी दस्तावेजात से स्पष्ट हैं। दिनांक 28/02/2018 को तहसीलदार जैतारण के यहां एक प्रार्थना पत्र मय उपरोक्त दस्तावेज के वादी के पेश किया कि उसका नाम सम्मानजनक दर्ज किया जावें। लेकिन तहसीलदार ने मना कर दिया। उसके बाद वादी को श्रीमान् जी के न्यायालय में घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती का वाद पेश करने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं होने के कारण से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के कर्मचारी एवं अधिकारी हैं। इनके विरूद्ध दावा करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना जरूरी होता हैं। लेकिन दावा आवश्यक प्रवृति का होने से यह वाद बिना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा हैं। न्यायालय की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बिनायवाद दिनांक 28/02/2018 को प्रतिवादी द्वारा नाम से संशोधन करने अर्थात् नारायण पुत्र घीसू के स्थान पर रामनारायण पुत्र घीसु करने से मना करने पर बमुकाम–जैतारण, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में हैं।

इस प्रकार वाद–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नारायण के स्थान पर वास्तविक नाम रामनारायण दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–काणेचा में पेश हुई। तहसीलदार, जैतारण / पटवारी हल्का ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य स्वीकार हैं। प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में नारायण पुत्र घीसु दर्ज हैं। प्रार्थी का अन्य सभी साक्ष्य दस्तावेजात में नाम रामनारायण पुत्र घीसु दर्ज हैं। जो कबिल दुरूस्त के हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा पेश जबाबदावा एवं वाद–पत्र के साक्ष्य सबूत में निर्वाचन आयोग द्वरा जारी पहिचान पत्र संख्या RJ/21/159/111213 दिनांक 13/11/2008, राशन कार्ड सं0 112800315063, पेन कार्ड संख्या APSPM6452R, विद्युत बिल खाता सं0 1616/0077 एवं आधार कार्ड संख्या 418226379014 की छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे प्रार्थी का सही नाम रामनारायण ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से नारायण दर्ज नाम के स्थान पर रामनारायण पुत्र घीसु दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण, भू.अ.नि. क्षैत्र–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 09 बिस्वा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 587 रकबा 80–11 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 651 रकबा 18 बिस्वा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 653 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 583 रकबा 04–11 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम नारायण के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम रामनारायण पुत्र घीसु कौम–माली दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रेकर्ड में घोषणानुसार अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2018 को राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–काणेचा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner